



2026:AHC:63509

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9868 वर्ष 2026

नत्थू राम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : ऋषभ श्रीवास्तव

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 69

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. श्री ऋषभ श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर महाधिवक्ता(ए.जी.ए.), राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, आवेदक नत्थू राम की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 657 वर्ष 2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2), 238 बी.एन.एस. तथा धारा 66(D) आईटी अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला चित्रकूट में विचारण के लम्बित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह आगे निवेदन किया गया है कि कथित रूप से आवेदक के बैंक खाते में जिला चित्रकूट के सरकारी कोषागार से रु. 10,74,846/- प्राप्त हुए थे और उसने सम्पूर्ण धनराशि राज्य के राजकोष में वापस कर दी है। सह-अभियुक्त कैलाशनाथ पाण्डेय को पहले ही इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या 9080 वर्ष 2026 में दिनांक 17.3.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है। कुछ अन्य सह-अभियुक्तों को भी इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक, जो दिनांक 24.2.2026 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाए तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण का शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता(ए.जी.ए.)ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक के बैंक खाते में जिला चित्रकूट के सरकारी कोषागार से कथित रूप से रु. 10,74,846/- प्राप्त हुए थे और उसने सम्पूर्ण धनराशि राज्य के राजकोष में वापस कर दी है। सह-अभियुक्त कैलाशनाथ पाण्डेय को पहले ही इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या 9080 वर्ष 2026 में दिनांक 17.3.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है। कुछ अन्य सह-अभियुक्तों को भी इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक दिनांक 24.2.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. समस्त तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत का उचित प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त वर्णित मामले में अभियुक्त आवेदक - **नत्थू राम**, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे रु. 50,000/- का व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से निरुत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित करने हेतु नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में किसी भी प्रकार नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

कुमार मनीष



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।